UPBJ010030342020

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Baljor Singh), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06003**

विशेष सत्र परीक्षण सं0 649/2020

सरकार बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि।

आरोप

मैं बलजोर सिंह, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट) बिजनौर आप अभियुक्तगण **सुरेन्द सिंह, बोबी कुमार व मुकेश कुमार** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅ।

1– यह कि दिनांक 10–03–2020 को समय 3.00 बजे दिन स्थित ग्राम आनन्द खेड़ी अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर में आपने सामान्य आशय की पूर्ति हेतु वादी मुकदमा महेश के बेटे गौरव तथा बन्टी पुत्र नरेश जब वह बाइक से रास्ते में ग्राम प्रधान सुभाष के घर के सामने पहुॅचे, मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के पुत्र गौरव तथा बन्टी पुत्र नरेश को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी गन्दी गालिया देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के बेटे गौरव व बन्टी पुत्र नरेश जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के बेटे गौरव व बन्टी पुत्र नरेश जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौच किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 17–09–2021

(बलजोर सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 17–09–2021

(बलजोर सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।